भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 40
उत्तर देने की तारीख 24 जून, 2019
सोमवार, 03 □ षाढ़, 1941 (शक)

प्रशिक्षु प्रशिक्षण

***40. श्री सुधाकर तुकाराम श्रृंगरेः श्री पी.पी. चौधरीः**

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूरे देश में प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रदान कर रही औद्योगिक इकाइयों की कुल संख्या कितनी है तथा विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में, औद्योगिक क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त प्रशिक्षण नहीं प्रदान कर रही उक्त इकाइयों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का देश में अनेक महानगरों विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कार्य कर रही अनेक बृहत औद्योगिक इकाइयों को देखते हुए प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्रदान करने को अनिवार्य बनाने का विचार है और इससे देश में निर्धन, शिक्षित तथा बेरोज़गार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किये जाने की संभावना है और इस संबंध में की गई तैयारी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री
(डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय)

(क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"प्रशिक्षुता" के बारे में श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे तथा श्री पी.पी. चौधरी द्वारा दिनांक 21.06.2019 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *40 के उत्तर के भाग (क से घ) में उल्लिखित विवरण।

(क) पूरे देश में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु apprenticeshipindia.org पोर्टल पर पंजीकृत और सक्रिय औद्योगिक इकाईयों की कुल संख्या 67,249 है। इन पंजीकृत औद्योगिक इकाईयों में से 24,498 वास्तविक रूप से प्रशिक्षुओं के साथ संलग्न है। महाराष्ट्र में 8,368 तथा मध्य प्रदेश में 5,083 औद्योगिक इकाईयां प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए apprenticeshipindia.org पोर्टल पर पंजीकृत हैं। हालांकि, इन पंजीकृत इकाईयों में से महाराष्ट्र में केवल 4,433 औद्योगिक इकाईयां तथा मध्य प्रदेश में 276 औद्योगिक इकाईयां ही प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं।

प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के दायरे में आने वाल प्रतिष्ठानों/औद्योगिक इकाईयों का औद्योगिक क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है।

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	औद्योगिक इकाईयों की सं.
1.	मुंबई-पूणे औद्योगिक क्षेत्र	4,569
2.	हुगली औद्योगिक क्षेत्र	330
3.	बैगलुरू-तमिलनाडु	15,938
4.	गुजरात औद्योगिक क्षेत्र	5,093
5.	छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र	1,063
6.	विशाखापत्तनम-गुंटूर	1,494
7.	दिल्ली-मेरट औद्योगिक क्षेत्र	2,190
8.	कोल्लम-तिरूवनंतपुरम	986

(ख) सरकार विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यशाला आयोजित करके व्यापक विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से औद्योगिक इकाईयों के बीच जागरूकता सृजित करने की पैरवी कर रही है। औद्योगिक इकाईयों/कंपनियों/स्थापनाओं को इसका पालन न किए जाने पर प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 (2014 तक संशोधित) के प्रावधानों के तहत कारण बताओं नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं।

(ग) तथा (घ) प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 (2014 तक संशोधित) के अनुसार 40 अथवा उससे अधिक संख्या में कार्यबल रखने वाले नियोजकों के लिए अपनी औद्योगिक इकाईयों/ प्रतिष्ठानों की कुल कार्यबल संख्या, जिसमें अनुबंधित कर्मचारी भी शामिल हैं, के 2.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक प्रशिक्षु रखना अनिवार्य है। अत: औद्योगिक इकाईयों के लिए अपने कुल कार्यबल, जिसमें अनुबंधित कर्मचारी भी शामिल हैं, के न्यूनतम 2.5 प्रतिशत को प्रति वर्ष प्रशिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करना अनिवार्य है।

****